न्यायालय जिला कलेक्टर, कोटा

पीठासीन अधिकारी : उज्ज्वल राठौड़ I.A.S.

प्रकरण संख्या – 31/2021 (अपील)
जीसीएमएस नं0–2021/165

1. भैरूलाल पुत्र उदयलाल जाति गुर्जर
2. कालूलाल पुत्र घनश्याम जाति गुर्जर
3. रंगलाल पुत्र कालूलाल जाति मेघवाल
4. नन्दकिशोर पुत्र कालूलाल जाति मेघवाल
5. बाबूलाल पुत्र छीतरलाल जाति मेघवाल निवासी ग्राम रानीपुरा, पोस्ट गंदीफली, तहसील लाडपुरा जिला कोटा राजस्थान

——अपीलाण्ट.

बनाम

1. तहसीलदार तहसील लाडपुरा जिला कोटा राजस्थान
2. श्रीनाथ पुत्र रामकिशन
3. शम्भूदयाल पुत्र श्रीनाथ
4. रामविलास पुत्र श्रीनाथ
5. बृजमोहन पुत्र श्रीनाथ
6. भीमराज पुत्र श्रीनाथ
7. नेहूलाल पुत्र शंकरलाल जाति गुर्जर निवासीगण रानीपुरा तह0 लाडपुरा जिला कोटा राजस्थान

——रेस्पोडेन्टस.

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम बनाराजगी आदेश क्रमांक/राजस्व/2021/2139 दिनांक 02.07.2021 न्यायालय तहसीलदार लाडपुरा जिला कोटा,

उपस्थितः–

1. **श्री चेतन कुमार पारासर, अभिभाषक अपीलान्ट**
2. **श्री बृजराज सिंह , राजकीय अभिभाषक**
3. **श्री शम्भूदयाल विजय, अभिभाषक रेस्पोडेन्ट 2 लगायत 7**

निर्णय

दिनांक– 12/10/2021

1. अपील के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय तहसील लाडपुरा जिला कोटा ने ग्राम रानीपुरा प0ह0 गन्दीफली में रास्ते के सम्बन्ध में माननीय सिविल न्यायाधीश महो0 कम–1 (दक्षिण) कोटा के प्रकरण सं0 4820/2018 (अस्थाई निषेधाज्ञा) आदेश दिनांक 1.3.2019 की पालना में तहसीलदार लाडपुरा द्वारा जारी आदेश क्रमांक/ राजस्व/ 2021/2139 दिनांक 2.7.2021 से ख0नं0 351 की उत्तर दिशा पर तार फेन्सिंग तथा ख. नं. 349 व 506/349 की पूर्वी मेड पर दोनों खाल तक तार फेन्सिंग के कारण रास्ता अवरूद्व होने से रास्ता खुलासा कराने हेतु आदेश दिये जाने के उपरान्त भी अब उक्त विवादित रास्ते को खुलासा नहीं कराया जाने के कारण यह अपील पेश की गई है ।

जिला कलेक्टर
कोटा

2. अपीलान्ट द्वारा यह अपील दिनांक 12.7.2021 को पेश कर निवेदन किया है कि माननीय सिविल न्यायालय के आदेश दिनांक 1.3.2019 की अनुपालना में तहसीलदार लाडपुरा के आदेश दिनांक 2.7.2021 की पालना हेतु नायब तहसीलदार साहब मय जाप्ता भू–अभि0निरी, रायपुरा पटवारी हल्का मवासा जाखोडा, गंदीफली एवं पुलिस जाप्ता कैथून के साथ मौके पर पहुंचे तो रेस्पोडेन्ट्स ने विवादित रास्ते को खुलासा किये जाने से बचने के लिये हाथी दांत की तरह दिखाई देने वाली गरडा (चावल) की फसल खसरा नं0 350 व 351 में लगाकर फसल होने का बहाना बनाते हुये रास्ते को खुलासा करने से इन्कार कर दिया मौके की स्थिति के अनुसार फसल होने के कारण पहुंची प्रशासनिक टीम ने फसल रौप दिये जाने के कारणों को लेकर रास्ते के खुलासा किये जाने की कार्यवाही को स्थगित कर देने की रिपोर्ट दिनांक 12.7.2021 को प्रस्तुत कर दी । उक्त मौके की रिपोर्ट दिनांक 12.7.2021 में बताये गये तथ्य मिथ्या और दृष्टिभ्रम पैदा करने के लिये एवं बनावटी कानूनी पेचीदगी पैदा करते हुये रास्ते को खुलासा न किये जाने की असफलता से अप्रसन्न होकर श्रीमान के यहां उक्त आदेश दिनांक 12.7.2021 मय रिपोर्ट के विरूद्व वास्ते दखलंदाजी व तत्काली न्यायहित में रास्ता खुलासा किये जाने हेतु अपीलान्ट्स ने अपना यह अपील मेमों श्रीमान की अदालत में प्रस्तुत कर दिया है । अपीलान्ट्स द्वारा प्राप्त सिविल न्यायालय के जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा की अपीलान्ट्स द्वारा पालना नहीं करते हुये अवज्ञा की जाने के तथ्य पर कोर्ट ऑफ कन्टेम्प्ट प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर दिया है जिस पर सुनवाई जेरकार है । अतः अपील पेश कर निवेदन है कि ग्राम रानीपुरा तहसील लाडपुरा पोस्ट गंदीफली जिला कोटा के खसरा नं0 351 की उत्तरी दिशा पर तार फैंसिंग तथा खसरा नं0 349 व 506/349 की पूर्व मेड पर दौनों खालों तक तारों की फैसिंग द्वारा रास्ते को अवरूद्व किये जाने को शीघ्र बहाल कर रास्ता खुलासा कराया जाये क्योंकि यह रास्ता खसरा नं0 330/451 जो कि गैर मुमकिन नाले के सहारे–सहारे होकर गुजरते हुये खसरा नं. 351 के अन्तिम छोर तक आने जाने के लिये बना हुआ है जो कि अपीलान्ट्स इस नाले के सहारे सहारे अपने खेतों पर विगत 80 साल से भी अधिक समय से आते जाते रहे है जिसे विधि सम्मत रूप से नहीं और अपीलान्ट्स की सहमति के बगैर बाधिक कर अड़चल पहुंचाई गई को शीघ्र खुलासा कराये जाने बाबत आदेश रिमाण्ड फरमाते हुये कार्यवाही गतिपूर्वक किये जाने की आदेशिका जारी करें ।

3. अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को तलब किया गया, अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । रेस्पोडेन्ट नं0 1 की ओर से राजकीय अभिभाषक एवं रेस्पोडेन्ट नं0 2 लगायत 7 की ओर से श्री शम्भूदयाल विजय एडवोकेट उपस्थित । उपस्थित उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई ।

4. वकील अपीलान्ट द्वारा अपील मेमों में अंकित तथ्यों को ही दौहराते हुए कथन किया है कि ग्राम रानीपुरा तहसील लाडपुरा पोस्ट गंदीफली जिला कोटा के खसरा नं0 351 की उत्तरी दिशा पर तार फैंसिंग तथा खसरा नं0 349 व 506/349 की पूर्व मेड पर दौनों खालों तक तारों की फैसिंग द्वारा रास्ते को अवरूद्व किये जाने पर माननीय सिविल न्यायालय में विचाराधीन दीवानी वाद प्रकरण में दिनांक 1.3.2019 को अन्तर्गत आदेश 39 नियम 3

जिला कलेक्टर
कोटा

सीपीसी में अस्थायी निषेधाज्ञा होने उपरान्त भी तहसीलदार लाडपुरा द्वारा उक्त स्थाई निषोधाज्ञा की पालना में आदेश दिनांक 2.7.2021 जारी कर अवरूद्व रास्ता खुलासा कराने हेतु आदेश दिये गये किन्तु मौके से उक्त रास्ता अब भी अवरूद्व है जिससे अपीलान्ट के खेतों में आने जाने में काफी समस्या आ रही है । माननीय सिविल न्यायालय के आदेश की पालना नहीं करने पर अपीलान्ट द्वारा न्यायालय की अवज्ञा का प्रार्थना पत्र पेश कर दिया है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर माननीय न्यायालय के आदेश के अनुसरण में तहसीलदार लाडपुरा द्वारा जारी आदेश दिनांक 2.7.2021 की पालना कराई जाकर अवरूद्व रास्ते को खुलासा कराने हेतु अपील अधीनस्थ न्यायालय को रिमाण्ड की जाने के आदेश फरमावें ।

5. वकील रेस्पोडेन्ट द्वारा अपनी बहस में कथन किया है कि अपीलान्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में विधिवत अन्तर्गत धारा 251 के तहत प्रार्थना पत्र पेश नहीं किया है अपीलान्ट विधिवत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 के तहत आवेदन पेश करने पर ही तहसीलदार द्वारा रास्ता खुलासा कराने सम्बन्धी कार्यवाही की जा सकती है । विवादित भूमि के सम्बन्ध में माननीय सिविल न्यायालय में मुकदमा विचाराधीन होने से प्रकरण में कोई आदेश जारी किया जाना उचित नहीं होगा । अतः अपील खारिज फरमाई जावें ।

6. हमने उभयपक्ष की बहस सुनी एवं बहस पर मनन किया । पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया । अपीलान्ट द्वारा यह अपील ग्राम रानीपुरा तहसील लाडपुरा पोस्ट गंदीफली जिला कोटा के खसरा नं0 351 की उत्तरी दिशा पर तार फैंसिंग तथा खसरा नं0 349 व 506/349 की पूर्व मेड पर दौनों खालों तक तारों की फैसिंग द्वारा रास्ते को अवरूद्व किये जाने पर माननीय सिविल न्यायालय में विचाराधीन दीवानी वाद प्रकरण में दिनांक 1.3.2019 तहसीलदार लाडपुरा द्वारा उक्त स्थाई निषोधाज्ञा की पालना में आदेश दिनांक 2.7.2021 जारी कर अवरूद्व रास्ता खुलासा कराने हेतु आदेश दिये गये परन्तु आदेश की कियान्विति नहीं कर रास्ता खुलासा नहीं कराने से यह अपील पेश की गई है । रास्ता अवरूद्व होने से अपीलान्ट अपने खेतों पर आने जाने, कृषि यंत्र आदि लाने ले जाने में परेशान होना पड़ रहा है । हम मानते है कि किसी भी काश्तकार को अपने खेतों में आने जाने के लिए सुखाचार से वंचित नहीं किया जा सकता है, उक्त विवादित रास्ते के सम्बन्ध में माननीय सिविल न्यायालय में भी वाद विचाराधीन होना बताया है तथा पत्रावली में संलग्न माननीय सिविल न्यायाधीश कम–1 (दक्षिण) कोटा द्वारा आदेश दिनांक 1.3.2019 से अप्रार्थीगण रेस्पोडेन्ट नं0 2 लगायत 7 को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया हुआ है कि मूल वाद के निस्तारण तक प्रार्थना पत्र की मद सं0 2 में वर्णित कृषि आराजियात पर जाने एवं कृषि संसाधनों को ले जाने हेतु रास्ते को बाधित न करें । ऐसी स्थिति में हम यह मानते है कि जब माननीय न्यायालय द्वारा भी रास्ता अवरूद्व नहीं करने के आदेश दिये हुए है एवं तहसीलदार लाडपुरा द्वारा भी पुलिस इमदाद के साथ रास्ता खुलासा कराने के आदेश जारी किये हुए है, किन्तु आदेश की कियान्विति नहीं होने से अपीलान्टगण को अपने खेतों पर आने जाने में असुविधा हो रही है । अपील आंशिक स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना उचित प्रतीत होती है ।

कोटा

रसलाल

7. परिणमस्वरूप अपील अपीलान्ट आंशिक स्वीकार की जाकर प्रकरण तहसीलदार लाडपुरा को प्रतिप्रेषित किया जाकर आदेश दिये जाते है कि यदि किसी न्यायालय का उक्त विवादित रास्ते की भूमि के सम्बन्ध में कोई स्थगन आदि न हो तो माननीय सिविल न्यायालय के आदेश दिनांक 1.3.2019 की अनुपालना में तहसीलदार लाडपुरा द्वारा जारी आदेश दिनांक 2.7.2021 वास्ते रास्ता खुलासा कराने की कियान्विति की जावें ।

8. निर्णय आज दिनांक 12.10.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय सुनाया गया।

जिला कलेक्टर कोटा (राज०)

(उज्ज्वल राठौड़)
जिला कलेक्टर, कोटा

जिला कलेक्टर
कोटा